दिनांक 16 फरवरी 2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

सड़क किनारे सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों पर हुई कार्यवाही, सड़क बाधा करने वालों से वसूला गया 16000 रुपए अर्थदंड

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर सड़क के किनारे सामान बिखेरकर व्यवसाय करने एवं सड़क बाधा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। भारी आवाजाही वाले मुख्य मार्ग के दुकानदार दुकान के आगे कई फीट तक सामान फैलाकर व्यवसाय कर रहे थे , जिससे आवागमन अवरुद्ध हो रहा था! उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए सड़क बाधा शुल्क वसूला गया। मुख्य सड़कों व बाजारों पर यातायात को नियंत्रित करने निगम भिलाई द्वारा समय-समय पर इस तरह की कार्यवाही की जाती है, ताकि बाजार में आने वाले नागरिकों एवं वाहनों को आने जाने में परेशानी न हो। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 01 नेहरू नगर कार्यालय के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी की टीम ने सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से रखे हुए सामानों को हटाने की कार्यवाही की। दुकानों के सामने कई फीट आगे तक दुकान का सामान व होर्डिंग्स इत्यादि रखने के कारण वाहनों के पार्किंग एवं आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है , जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही की गई। जोन 01 के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दूबे ने बताया कि आकाशगंगा व दक्षिण गंगोत्री में टीम ने सड़क बाधा को लेकर कार्यवाही की। क्षेत्र के राजू वेल्डिंग द्वारा दुकान के सामने वृहद मात्रा में वेल्डिंग से संबंधित सामान , लोहा, रॉड आदि सामान को सड़क फैलाकर व्यवसाय कर रहा था , जिसके कारण उस मार्ग से आने जाने वाले वाहनों को समस्या हो रही थी। सड़क किनारे फैले हुए दुकान के सामान को हटवाने के साथ ही सड़क बाधा शुल्क के रूप में 10 हजार का अर्थदण्ड भी वसूला गया , इसी प्रकार दत्ता फर्नीचर मार्ट के सामान को हटवाते हुए उनसे 5 हजार रूपए अर्थदण्ड वसूला गया। घड़ी चौक से रेलवे फाटक सुपेला के व्यस्तम मार्ग में महावीर थॉली के पास एक व्यक्ति द्वारा सड़क बाधा करते हुए टेंट लगाकर कपड़ा का व्यवसाय किया जा रहा था जिसे हटवाते हुए 1 हजार रूपए वसूला गया इसके अलावा जगह-जगह पर सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले पंचर दुकान , चाय व नाश्ता दुकान, पान ठेला व फास्ट फूड बेचने वालों को समझाइश दी गई की दुकान व्यवस्थित तरीके से लगाए , सड़क पर अतिरिक्त सामान न रखें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में राजेश गुप्ता, अमित दुबे सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसम्पर्क अधिकारी